"लेकायुक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मांगे गये प्रतिवेदन/अभिलेखों से समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु सरकार के स्तर से निर्गत परिपत्रों का संकलन ।"

ENCLOSURE –I

पत्र संख्या–3/लोक(स्था0)27/91––17131–लोक

लोकायुक्त का कार्यालय

4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1

प्रेषक,

श्री रामाधार प्रसाद श्रीवास्तव,
लोकायुक्त के उप सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम व्यूरो) विभाग
सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–1, दिनांक–17 दिसम्बर, 1992 ।

विषयः- बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधान के आलोक में लोकायुक्त, बिहार द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मांगे गये प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन एवं अधियाचित अभिलेखों को समय सीमा के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या ओ0 एम0/एल0 2–10/92–117, दिनारंक–15 अक्टूबर, 1992, सुलभ प्रसंग हेतु अनुलग्नक सहित प्रसंगित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सुझाव के अनुसार लोकायुक्त इस मामले के निष्पादन के लिए विभाग में एक वरीय पदाधिकारी के अधीन एक कोषांग गठित कर सम्बंधित पदाधिकारी का नाम एवं कोषांग से सम्बद्ध कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के संबंध में, एक माह के अंदर लोकायुक्त महोदय को सूचना के लिये भेजी जाय ।

2. इस कार्यालय के ज्ञाप सं0–3047–लोक, दि0–10 जुलाई, 1991 द्वारा लोकायुक्त महोदय द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिये प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण की सूचना भेजी गया थी । इस संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि लोकायुक्त महोदय ने प्रसंगित पत्र में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण के अपने प्रसंगित आदेश को निम्न रूप से पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है ।:–

(क) साधारणतः किसी भी जांचकर्त्ता को वांछित जांच संपन्न कर दो माह के भीतर प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन लोकायुकत महोदय को समर्पित करना है । अगर कम समय में प्रतिवेदन आवश्यक समझा जायगा तो आपको वैसा निदेश दिया जायगा ।

(ख) दो माह की अवधि बीतन के बाद यदि जांच पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सकेगा तो संबंधित पदाधिकारी को एक अर्द्ध–सरकारी पत्र इस आशय का भेजा जायगा कि वे जांच प्रतिवेदन निश्चित रूप से एक माह के अंदर भेज दें ।

(ग) यदि अर्द्ध-सरकारी पत्र निर्गत होने के एक माह तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा तो उनके विरूद्ध बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित कुप्रशासन के लिये संज्ञान लेकर धारा 10 (1)(क) की नोटिस निर्गत करने के निमित्त कारण पृच्छा नोटिस जारी की जायेगी जिसमें जवाब देने के लिये 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की जायेगी ।

(घ) यदि उपरोक्त पत्राचार के बावजूद वांछित प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होगा तो संबंधित जांच पदाधिकारी के विरूद्ध कुप्रशासन के लिए बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1)(क) की नोटिस जारी की जायेगी ।

निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को लोकायुक्त महोदय के उपरोक्त निर्णय से अवगत कराने के साथ-साथ इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन
रामाधार प्रसाद श्रीवास्तव,
लोकायुकत के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-17131/लोक----------पटना-1, दि0-17 दिसम्बर, 1992 ।

निदेशानुसार प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

रामाधार प्रसाद श्रीवास्तव,
लोकायुक्त के उप सचिव ।

ENCLOSURE II

संख्या ओ0 एम0/एल0-2-010/92------117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस0 एन0 विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव
अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम व्यूरो) विभाग
सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दि0-15 अक्टूबर, 1992 ।

विषयः- बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधान के आलोक में लोकायुकत, बिहार द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मांगे गये प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन एवं अधियाचित अभिलेखों को समय सीमा के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 धारा 11 एवं 13(3) के प्रावधान के अन्तर्गत सूचित करना है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों से न्यायमूर्त्ति लोकायुक्त द्वारा यथा (1) अधियाचित प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन एवं (2) अभिलेख समय पर नहीं भेजने के कारण न्यायमूर्त्ति लोकायुक्त के स्तर पर परिवाद पत्र के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

2. इस विषय पर पूर्व में मुख्य सचिव द्वारा निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0- 191, दिनांक-21 जून, 1986 तथा परिपत्र संख्या 306, दि0-24 सितम्बर, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से जो पत्र आदि भेंजे जायें, उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में पूर्व की भांति एक 'कोषांग' का गठन करने का आदेश दिया गया था, ताकि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब न हो, किन्तु खेद है कि इस आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि लोकायुक्त से संबंधित मामले के निष्पादन के लिये प्रत्येक विभाग में एक वरीय पदाधिकारी के अधीन एक 'कोषांग' गठित कर एक पत्र के अंदर सूचना भेजी जाय तथा इसकी सूचना लोकायुक्त को भी दी जाय । इस कोषांग के गठन के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया जाय ।

3. इस आदेश की सूचना अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को कृपा दे दी जाय ।

4. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,
एस0 एन0 विश्वास,
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप सं0-ओ0 एम0/एल0--------2-010/92---117

पटना-15, दि0-15 अक्टूबर,1992 ।

प्रतिलिपि-लोकायुक्त के सचिव को उनके ज्ञापांक-936, दिनांक-3 फरवरी, 1992 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

एस0 एन0 विश्वास,
आयुक्त एंव सचिव ।

ENCLOSURE-III

पत्र संख्या–ओ0 एम0/एल0–2–040/86––306–ओ0एम0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार,

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव/आयुक्त–सह–सचिव/सचिव,
विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना–15, दि0–24 सितम्बर, 1986 ।

विषयः– लोकायुक्त से प्राप्त पत्राचार के शीघ्रता से निष्पादन के प्रयोजनार्थ विभागों के कोषांग का गठन ।

महोदय,

बिहार के लोकायुक्त कार्यालय से शिकायत मिली है कि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विभागों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मामलों के निष्पादन में काफी कठिनाई होती है । साथ ही जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

इस विषय पर पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या–522, दि0–18 जून, 1976 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि लोकायुक्त कार्यालय से जो पत्र आदि भेजे जायं, उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में पूर्व की भांति एक कोषांग का गठन किया जाय, ताकि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब न हों ।

विश्वासभाजन,
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0 ओ0 एम0/एल0 2–040/8––––30 ओ0 एम0

पटना, दि0–24 सितम्बर, 1986 ।

प्रतिलिपि– लोकायुक्त के सचिव को उनके पत्रांक–5227, दि0–26 अगस्त, 1986 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के मख्य सचिव

ENCLOSURE IV

पत्र सं0 ओ0 एम0/एल0 410/86--191/ओ0 एम0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के मुख्य सचिव,
बिहार,

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/आयुक्त-सह-सचिव/
सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक-21 जून, 1986 ।

विषय:- लोकायुक्त द्वारा मांगी गयी सूचनायें, प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को भेजने में शीघ्रता बरतने के संबंध में ।

महाशय,

बिहार के लोकायुक्त के कार्यालय से शिकायत मिली है कि विभिन्न मामलों में उनके कार्यालय द्वारा मांगी गयी सूचनायें, प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को भेजने में विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिससे मामलों को निपटाने में अत्यधिक बिलम्ब होता है और अनेक बाधायें उत्पन्न होती हैं । यह गंभीर स्थिति है । इस विषय में पूर्व में भेजे गये परिपत्र संख्या 507, दिनांक-18 जुलाई, 1974, 98, दिनांक-18 फरवरी, 1977 एवं 49, दिनांक-19 जनवरी, 1978 की एक-एक प्रति पुन: संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विषय पर आपके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी शिकायत की पुनरावृत्ति न हो । लोकायुक्त कार्यालय से अधियाचित सूचनायें प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक आदि निर्धारित समय के अंतर्गत निश्चित रूप से भेजे जाने की कृपया व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन,
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप सं0-191-ओ एम0 -------पटना-15, दिनांक-21 जून, 1986

प्रतिलिपि-बिहार लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

तारकेश्वर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव

ENCLOSURE V

पत्रांक-ओ0 एम0/एल0-2-015/86--122-का0

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री के0 के0 श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव, बिहार सरकार,

सेवा,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/आयुक्त-सह-सचिव/
सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक-19 अप्रील, 1986

बिषय- बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(3) के अंतर्गत प्रेषित प्रतिवेदन के अनुपालन में अत्यधिक विलम्ब ।

महोदय,

निदेशानुसार, मुझे कहना है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी ऐसी कार्रवाई के अंवेषण के बाद, जिसके बारे में अभिकथन अंतर्वलित करने वाला कोई परिवाद किया गया हो या किया जा सकता हो या किया जा सकता था, लोकायुक्त को यह समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन को पूर्णत: या भागत: अभिपुष्टि की जा सकती है, तो वह सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री और अन्य साक्ष्य सहित अपने निष्कर्षो और सिफारिशों की लिखित रिपोर्ट सक्षम पदाधिकारी को संसूचित करेगा ।

धारा 12(4) में यह कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) के अधीन अपने पास अग्रेषित रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त को संसूचित करेगा कि रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी या करने को प्रस्तावित है । तदनुसार इन धाराओं के अंतर्गत लोकायुक्त द्वारा सरकार के सक्षम पदाधिकारियों को अन्वेषण के बाद प्रतिवेदन भेजे जाते हैं । लोकायुक्त की अनुशंसा का अनुपालन प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारियों को तीन माह के अंदर संसूचित करना है । परन्तु प्राय: यह देखा जाता है कि सक्षम पदाधिकारी समय-सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, फलत: प्रतिवेदित मामले अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव में वर्षो लंवित रहते हैं ।

अत: अनुरोध है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(4) में विहित तीन माह की समय-सीमा का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय ।

विश्वासभाजन,
के0 के0 श्रीवास्तव,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप सं0–ओ0 एम0/एल0–2–015/86––122 का0

पटना–15, दिनांक–19 अप्रील, 1986

प्रतिलिपि–लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना को उनके पत्रांक–2593, दिनांक–29 मार्च, 1986 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

तारकेश्वर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ENCLOSURE VI

संख्या ओ0 एम0/एल0 2-034/77--42

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दि0-19 जनवरी, 1978

विषयः- सक्षम पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को प्राप्त बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा उसके अधीन अधियाचनों का अनुपालन ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन लोकायुक्त उसकी धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार उनके समक्ष दायर किये गये शिकायत या अभिकथन संबंधी परिवादों का अन्वेषण करते हैं । ऐसे अन्वेषण के संचालन के क्रम में उन्हें अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत सूचनाओं या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है । उनके प्रयोजनार्थ उस धारा के अंतर्गत संबंधित लोक सेवक से उन सूचनाओं, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण का आदेश देने का उन्हें पूरा अधिकार प्रदत्त है । अधिनियम की धारा 12 के अधीन अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् लोकायुक्त द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे वे सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई के लिये भेजते हैं । लोकायुक्त संस्था को यह अनुभव रहा है कि लोकायुक्त द्वारा भेजे गये अधियाचनों या प्रतिवेदनों के अनुपालन में विलम्ब किया जाता है । इस विलम्ब का मुख्य कारण यह हो सकता है कि विभागाध्यक्षों का कार्यालयों के संबंध में अधिकारियों को उपर्युक्त अधियाचनों या प्रतिवेदनों के अनुपालन के लिये जो समय सीमा निर्धारित है, उसकी सही जानकारी नहीं है । इस कारण इस व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गयी थी कि लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के शीघ्र निष्पादन के उद्येश्य से विभागों में इनके लिये एक विशिष्ट कोषांग का गठन किया जाय ।

2. विभागों/कार्यालयों की सुविधा के लिये लोकायुक्त के प्रतिवेदनों/अधियाचनों आदि के लिये जो समय सीमा निर्धारित है, उन्हें एकत्रित रूप से नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है :-

(क) लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन सक्षम पदाधिकारियों को अनुपालन के लिये निर्धारित समय सीमायें---

(1) उप धारा 2--लोकायुक्त के समक्ष दायर किये गये शिकायत के परिवाद के अन्वेषण के बाद उसके प्रतितोष के लिये लोकायुक्त द्वारा की गयी सिफारिश ।	सक्षम प्राधिकारी को लोकायुक्त की सिफारिश में शिकायत के प्रतितोष के लिये विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर लोकायुक्त को इसकी सिफारिश की रिपोर्ट के अनुपालन के लिये की गयी कार्रवाई सूचित करना या करवा देना ।

(2) लोकायुक्त के समक्ष दायर किये गये अभिकथन संबंधी परिवाद के अन्वेषण के बाद लोकायुक्त द्वारा अपने निष्कर्षो और सिफारिश को सक्षम पदाधिकारी को भेजी गयी लिखित रिपोर्ट ।	इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकायुक्त को यह सूचित करना है कि रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी या करने को प्रस्तावित है ।

(ख) तत्कालीन मुख्य सचिव श्री पी.के.जे. मेनन द्वारा सभी प्रधान सचिवों/सचिवों तथा विभागाध्यक्ष को सम्बोधित अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या-ओ0 एम0/एल0-2-019/74-507, दि0-18 जुलाई 1974 में लोकायुक्त से प्राप्त अधियाचनों के अनुपालन के लिये निम्न निर्धारित समय सीमायें :-

(1) जिस लोक सेवक के पास अधियाचना भेजी जाती है उनके पास दस्तावेज उपलब्ध रहने पर ।	संबंधित लोक सेवक द्वारा अधिचायना की प्राप्ति की तिथि के तीन दिन के अंदर ।
(2) जिस स्थान पर संबंधित लोक सेवक पदस्थापित हैं उस स्थान में अवस्थित अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयों से दस्तावेज संग्रह करने की स्थिति में ।	संबंधित लोक सेवक द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर ।
(3) उस स्थान पर संबंधित लोक सेवक पदस्थापित हों उस स्थान से अन्यत्र अवस्थित अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयों से दस्तावेज संग्रह करने की स्थिति में ।	संबंधित लोक सेवक द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर ।

टिप्पनी:-अगर कागज-पत्र को संग्रह करने में उपातांकित समय सीमा से अधिक समय की आवश्यकता हो तो इसके कारणों को दशाते हुए संभावित बिलम्ब की सूचना लोकायुक्त के कार्यालय को भेजना है ।

(4) अधियाचित दस्तावेज कागज-पत्र भेजने का समय निर्गताधीन कागज-पत्र के साथ विभागों/ कार्यालयों द्वारा भेजी गयी सूची (चार प्रतियों में) की एक प्रति लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मूल कार्यालय को वापसी ।	लोकायुक्त का कार्यालय भेजी गयी सूची की जांच करेगा एवं तीन दिनों के भीतर उसकी प्रति मूल कार्यालय को वापस कर देगा । इस अवधि तक प्रेषक प्राधिकारी लोकायुक्त कार्यालय की रसीद प्राप्ति के लिये प्रतीक्षा करेगा और यदि उसकी प्राप्ति उस अवधि में न हो तो उन्हें लोकायुक्त के कार्यालय को इसके लिये स्मार भेजना है ।

टिप्पनी:- उपर्युक्त स्थिति में अंकित किये जाने वाले तथ्यों का विवरण उपर्युक्त निर्देश-पत्र की कंडिका 3 में है ।

(5) लोकायुक्त द्वारा मांगी गयी सूचना ।	यह सूचना तत्परतापूर्वक संग्रह की जाय । इस अधिसूचना के अनुपालन में सात दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

टिप्पनी:- यदि किसी विशेष मामले में लोकायुक्त के अधियाचन के अनुपालन में कोई युक्तिसंगत संदेह हो तो अधियाचना के अनुपालन में कठिनाइयों को दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय को तुरत प्रत्युत्तर भेजना है । प्रकट की गयी कठिनाइयों को लोकायुक्त द्वारा मान्य समझा जाय तो उस मामले को उस स्थिति में निष्पादित समझा जाय । यदि कठिनाई अमान्य पायी जाय तो उस हालत में लोकायुक्त सरकार के पास उस मामले को उठा सकते है ।

(6) लोकायुक्त अधिनियम की धारा 13(3)(i) के अंतर्गत किसी अन्वेषण के संचालन के लिये पदाधिकारी या अनुसंधान एजेंसी की सेवाओं के उपयोग के लिये भेजे गये अधियाचन ।	इस अधियाचना का अनुपालन यथाशीघ्र न्यूनतम समय में किया जाय एवं किसी हालत में संबंधित विभागाध्यक्ष को लोकायुक्त के कार्यालय को उत्तर भेजने में एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिये । इस बीच विभागाध्यक्ष जहां आवश्यक हो सरकार का आदेश प्राप्ति कर लेंगे एवं लोकायुक्त द्वारा सौंपे गये कार्य को हाथ में लेने के लिये संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी को सतर्क भी कर देंगे तदुपरांत ऐसे पदाधिकारी या एजेंसी को लोकायुक्त के अनुदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

3. मुझे अनुरोध करना है कि उपर्युक्त समय सीमाओं की विवरणी आपके विभाग में लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के निष्पादन के उद्येश्य से गठित कोषांग में किसी प्रत्यक्ष स्थान पर अनुरक्षित रखी जाय, ताकि उसके प्रभारी पदाधिकारी लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त लोकायुक्त प्रतिवेदन/अधियाचना के निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन पर समुचित ध्यान दे सके एवं उसके अनुपालन के लिये भी अनिवार्य रूप से समुचित सतर्कता बरत सके ।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप सं0-ओ0एम0/एल0-2-034/77-42, पटना, दि0-19 जनवरी 1978 ।

प्रतिलिपि- लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव

ENCLOSURE VII

संख्या ओ0 एम0/एल0 2-019/74--98

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक-18 फरवरी, 1977 ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 11 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत लोकायुक्त अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन की पूर्त्ति के लिये उससे संबंधित सुसंगत सूचना या दस्तावेज लोक सेवकों से मांगे जाते हैं । ऐसी मांग के अनुपालनार्थ श्री पी0 के0 जे0 मेनन के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं0-ओ0 एम0/एल0 2-017/74-507, दिनांक-18 जुलाई, 1974 में विस्तृत अनुदेश परिचारित किये गये हैं । लोकायुक्त के सचिव ने सरकार के ध्यान में यह बात लायी थी कि प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष आदि द्वारा उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से मांगी गयी संचिकायें नहीं भेजी जाती हैं । इस कारण श्री मेनन के परिपत्र के अनुदेशों को श्री शरण सिंह के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं0-ओ0 एम0/एल0 2-019174--509, दिनांक-28 जुलाई 1975 में दुहराया गया ।

2. अपने 1974-75 के वार्षिक रिपोर्ट में लोकायुक्त ने पुनः इस बात का उल्लेख किया है कि अनेक मामलों में लोक सेवकों के द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण कर अपेक्षित प्रतिवेदन या सूचना भेजने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है । सम्प्रति लोकायुक्त ने इस बात पर बल दिया है कि वे अपने कृत्यों के पालन में प्रभावी ढंग से कामयाब तभी हो सकते हैं जबकि लोक प्रशासन से उन्हें अपेक्षित सूचनायें त्वरित रूप से उपलब्ध करायी जाय । सरकार की दृष्टि में उन्होंने इस तथ्य को लाया है कि सरकारी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संचिकाओं एवं अन्य कागजात को, जिनकी उनके द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना की जाती है, उपलब्ध करने में भारी विलंब किया जाता है । लोकायुक्त ने प्रधान सचिवों के साथ की गयी बैठकों में उनसे विशेष तौर पर अनुरोध किया था कि ऐसे एवं अन्य मामलों में लोकायुक्त अधिनियम के उपबंधों एवं समय-समय पर निर्गत सरकारी अनुदेशों के अनुपालन में सहयोग प्रदान करें । लोकायुक्त ने पृथक अर्द्ध-सरकारी पत्रों द्वारा भी विभिन्न प्रधान सचिवों से इस प्रकार का अनुरोध किया है । श्री मेनन के पूर्वोल्लिखित परिपत्र में विविध प्रकार के मामलों में लोकायुक्त के अधियाचनों के अनुपालन के लिये तीन से पन्द्रह दिनों की समय सीमा निर्धारित की गयी है । उसमें निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन के लिये लोकायुक्त को पूर्व सूचना देने एवं कारण दिखाने का प्रावधान भी रखा गया है । लेकिन सामान्यतया इस आदेश का कदाचित अनुपालन किया जाता है एवं लोकायुक्त के अनुसार तीन से पंद्रह दिन क्या, उनके अधियाचनों के अनुपालन में महीने एवं कभी कभी वर्ष बीत जाते हैं । इन परिस्थितियों में आपसे अनुरोध है कि लोकायुक्त कार्यालय से भेजे जाने वाले निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई के लिये जो कोषांग आपके कार्यालय में गठित की गयी हो उसके प्रभारी पदाधिकारी को हिदायत कर दी जाय कि लोकायुक्त के कार्यालय से जो भी अधियाचन पत्र आवे उसके अनुपालन में सतर्कता बरती जाय ताकि प्रयास यह रहे कि श्री मेनन के परिपत्र में विहित समय सीमा का उल्लंघन न हों, एवं यदि होने की संभावना हो तो कारण दिखाते हुए उस कार्यालय को पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाय ।

3. श्री मेनन के पूर्वोत्तर की कंडिका 4 में यह अनुदेश विनिहित किया गया है कि अब लोकायुक्त उनके अन्वेषणाधीन मामलों से सम्बद्ध सुसंगत कागज-पत्र भेजने के अनुरोध के अतिरिकत कोई सूचना मांगे तो ऐसी सूचना तत्परतापूर्वक संग्रह की जाय, उसको सावधानीपूर्वक अंकित कर दिया जाय एवं ऐसे अधियाचन के अनुपालन में 7 दिनों से अधिक समय का व्यय नहीं किया जाय । ज्ञातव्य है कि ऐसी अधियाचनों का अभिप्राय तथ्ययुक्त विस्तृत व्यौरा संग्रह करने का होता है एवं इसे लोकायुक्त को प्रस्तुत करने के लिये सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं है । बहुधा यह रूझान देखने में आता है कि जिस अधिकारी या लोक सेवक से ऐसी सूचना मांगी जाती है वे अधियाचन का अनुपालन स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि किसी अधीनस्थ पदाधिकारी पर उसके अनुपालन का भार सौंप देते हैं, जो फिर दूसरे किसी निम्नस्थ पदाधिकारी को अपने उत्तरदायित्व को टाल देते हैं । ऐसी टालमटोल की स्थिति में लोकायुक्त के अपेक्षित सूचना की उपलब्धि में बहुत विलम्ब हो जाता है । कभी-कभी तथ्ययुक्त सूचना की आपूर्त्ति के लिये सरकारी आदेश प्राप्त किया जाता है, जिससे लोकायुक्त को सूचना प्राप्ति में विलम्ब हो जाता है । वस्तु स्थिति यह है कि लोकायुक्त को लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अधीन यह परिनियम शक्ति प्रदत्त है कि उस अधिनियम के अंतर्गत चल रहे किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी लोक सेवक, जो अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, से वे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसा दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकते है । उसी तरह धारा 11(4) में यह उपबन्धित है कि लोकायुक्त के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये किसी लोक सेवक द्वारा प्राप्त अथवा उन्हें दी गयी जानकारी की गुप्तता अथवा उसके प्रकटन पर अन्य निबंधन को बनाये रखने की बाध्यता उपर्युक्त जानकारी के प्रकटन पर लागू न होगी । जानकारी के प्रकटन या दस्तावेज या उसके किसी भाग के पेश किये जाने पर निवन्धित केवल उन मामलों में है जिनका उल्लेख धारा 11 की उप-धारा (5) एवं (6) (अवतरण अनुलग्न) में किया गया है । इस कारण यह आवश्यक है कि सभी संबंधित लोक-सेवक लोकायुक्त द्वारा मांगी सूचनाओं को जिनके प्रकटन पर कोई निबन्धन न हो, अपने ही स्तर से निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके कार्यालयों में सीधे भेज दें एवं इसके अनुपालन का भार अधीनस्थ पदाधिकारियों को नहीं सौपें ।

4. लोकायुक्त ने सरकारी दृष्टि से इस तथ्य को भी लाया है कि जब वे गुमनाम परिवाद पत्रों के आधार पर कोई सूचना चाहते हैं तो अकसर यह प्रत्युत्तर भेजा जाता है कि सरकार का स्थायी आदेश है कि गुमनाम परिवाद पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाय । ज्ञातव्य हो कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 का यह उपबन्ध है कि जहां किसी लोक-सेवक द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में शिकायत या अभिकथन करने वाले परिवाद किया जाय, अथवा जहां ऐसी कार्रवाई लोकायुक्त की राय में, शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी, लोकायुक्त को लोकायुक्त अधिनियम के अधीन ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदत्त रहेगी । अधिनियम की धारा 10 के अधीन लोकायुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि नियमित अन्वेषण आरंभ करने के पूर्व ऐसी प्रारंभिक जांच कर सकते हैं जो वे उचित समझें । इस कारण यदि किसी गुमनाम परिवाद पत्र का वे ज्ञान ले लेते हैं एवं वे किसी लोक-सेवक से उस पर जांच कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश देते हैं तो उसके अनुपालन में गुमनाम परिवाद पत्रों के निष्पादन का प्रासंगिक सरकारी आदेश बाधक नहीं हो सकता है । इस दृष्टि से लोकायुक्त द्वारा गुमनाम परिवाद पत्रों पर जांच प्रतिवेदन के मांग पत्र का अनुपालन अनिवार्य है ।

कृपया इन अनुदेशों से सभी विभागीय पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
राम प्रकाश खन्ना
सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञाप सं0 ओ0 एम0/एल0--2-019/74--98 पटना, दि0-18 फरवरी, 1977

प्रतिलिपि:-लोकायुकत के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित । इसका प्रसंग मुख्य मंत्री को सम्बोधित लोकायुक्त के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं0-8772-लोक, दिनांक-23 दिसम्बर, 1976 से है ।

मुकुन्द प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव ।

ENCLOSURE VIII

संख्या ओ0 एम0/एल0 2-019/76---522

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संगठन एंव पद्धति शाखा)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।

पटना, दिनांक- 18 जून, 1978

विषयः- लोकायुक्त से प्राप्त पत्राचार के शीघ्रता से निष्पादन के प्रयोजनार्थ विभागों में कोषांगों का गठन ।

महाशय,

निदेशानुसार, मुझे कहना है कि लोकायुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रधान सचिवों के साथ दिनांक 16 जुलाई, 1976 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया था कि उनके कार्यालय से जो पत्र आदि भेजे जायं उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में एक कोषांग का गठन किया जाय । मुझे अनुरोध करना है कि इस प्रसंग में की गयी कार्रवाई की सूचना इस विभाग को एक सप्ताह के भीतर दें । यह सूचना लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ विधान-मंडल में पेश किये जाने वाले व्याख्यात्मक ज्ञापन में सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन,

सी0 आर0 वेंकटरामन,

सरकार के सचिव ।

ENCLOSURE IX

(Confidential)

D.O. Letter No. OM/L-2-019/74—507

SHRI P .K. J. MENON,
Chief Secretary to Government.

Dated Patna, July 18, 1974.

Subject:- Compliance of requisition from the Lokayukta, Bihar.

My Dear ……

I am herewith endorsing copies of the following :-

(i) The Bihar Lokayukta Act, 1973 (Bihar Act VI of. 1974) (Both in Hindi and English).

(ii) The Bihar Lokayukta Rules, 1974 (Both in Hindi and English).

I am to req uest you to study the text of the Act carefully and to familiarise yourself with its contents.

2. Under section 11 of the Act the Lokayukta is invested with full authority to require any public servant who is able to furnish information or produce documents relevant to an investigation to furnish any such information or produce any such document. On receipt of requisition from the Lokayukta, what is required initially in each investigation is a prompt statement of the factual position concerning a grievance. This statement can easily be complied on getting hold of relevant files. A perusal of the relevant files in the office concerned should be sufficient to give an idea of the commission or omission on the part of an officer in connection with a grievance either of a private individual or a public servant. Since the processing of investigation will have direct bearing on his furnishing of the requisite information or documents, the following time-limits for despatch of papers requisitioned by the Lokayukta are being laid down:-

(i) Documents available with the Public servant to whom requisition is sent.	Three days from the date of receipt of the requisition by the public servant concerned.
(ii) Documents to be collected from subordinate office(s) located at the same station where the public servant concerned is posted.	A week from the date of receipt of the requisition by the public servant concerned.
(iii) Documents to be collected from subordinate offices located at stations other than the sta tion of posting of the con cerned public servant.	Fifteen days from the date of receipt of the requisition by the public servant concerned.

In the event of some more time being necessary to collect the papers than what is indicated above, the office of the Lokayukta should be informed about the possible delay, together with the reasons thereof.

3. While sending documents/papers requisitioned, a carefully prepared list of the papers under dispatch should accompany the papers. This list should show—

i. the number and year of the file.
ii. the number of note sheets contained on the note side.
iii. the number of pages contained on the correspondence side.
iv. the date of last noting, and
v. the particulars of the last letter.

This requirement should be invariably complied with in each and every case of requisition from the Lokayukta.

Such lists should be prepared in quadruplicate-three copies for despatch to the Lokayukta 's office and one copy for reteation by the complying authority as his office copy.

The office of the Lokayukta will check the list with the papers received and return one copy to the office of origin in three days time. The dispatching authority should wait until then for getting the receipt from the Lokayukta's office and in the event of not getting it within that period, he should remind the Lokayukta's office.

4. When the Lokayukta has asked for information as distinguished from dispatch of relevant papers such information should be collected quickly and their sources carefully noted. I should not take more than seven days to comply with such a requisition.

5. I am to add that the Lokayukta rarely asks for any oral evidence being recorded for his information. Where such evidence has to be recorded in order to provide to the Lokayukta a complete initial picture of the matter a definite indication to that effect would be given by the Lokayukta's office, and to that extent, the authority collecting the evidence would become a part of the investigating machinery of the Lokayukta, with all the consequences thereof. Normally requisitions for information are sent by the Lokayukta's office to the authority superior to the public servant complained against. Thus, the subject-matter of the complaint is ordinarily already within the jurisdiction of that superior authority, who is expected to take a direct as well as departmental interest in the fact finding about his subordinate especially when asked to do so by the Lokayukta.

6. If in any particular case, you happen to entertain a reasonable doubt as regards compliance with the Lokayukta's requisition, it would be desirable for you to write back directly to the Lokayukta's office, stating the basis of your hesitation in complying with the requisition, so that the objection could be quickly examined in the Lokayukta's office. If the objections were considered to be valid by the Lokayukta, the matter would end there. If it is not found to be valid the Lokayukta could take it up with Government.

7. Under section 13(3)(i) of the Act, the Lokayukta can utilise the services of any officer or investigating agency of the State Government for conducting an investigation, provided the State Government concur in the office or the agency being so utilised. The State Government have a number of agencies which can investigate into specific charges of corruption, e.g. (l) the personnel of the Vigilance Department, (2) the officers of the general administration from the divisional to the block/anchal level, (3) the hierarchy of other departments (for matters relating to those departments), (4) C.I.D. (Special Branch) and (5) the

main police organisation. It lies entirely at the discretion of the Lokayukta to requisition the services of any officer or agency described as per the requirement of any particular case. The necessity for investigation for arriving at the correct conclusion quickly need not be over emphasized. Expediency requires that the requisitions for the services of officers or agencies, which would necessarily be sent to the Head of the Department concerned, should be complied with within the shortest possible time and in any case, it should not take more than a week for the concerned Head of the Department to reply to the Lokayukta's office. In the meantime, the Head of the Department is expected to obtain Government orders, wherever necessary, and the concerned officer/agency to be alerted to be in readiness to undertake the job. Thereafter the officer or agency should await the instructions of the Lokayukta.

Yours sincerely,

P.K.J. MENON.

To

All Principal Secretaries/Secretaries/Heads of Department.

D. O. No. OM/L-2-019/74---507

Dated Patna, the 18th July 1974

Copy, with copies of enclosures, forwarded to all District Officers, for information and necessary action.

P. K. J. MENON.
Chief Secretary to Government

ENCLOSURE X

Circular letter no. O.M./L-2-036/78---112, dated 6th March 1979 to all the Principal Secretaries, all Divisional Commissioners, all District Officers. The circular as follows :-

विषय-- लोकायुक्त द्वारा भेजे गये परिवादों के निष्पादन के लिये विलम्ब से सूचना देने पर संबंधित पदाधिकारियों की चरित्रपुस्ति में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, मुझे कहना है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन लोकायुक्त उसकी धारा 7 के उपबन्ध के अनुसार उनके समक्ष दायर किये गये शिकायत या अभिकथन, संबंधी परिवादों का अन्वेषण करते हैं । ऐसे अन्वेषण के संचालन के क्रम में उन्हें अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत सूचनाओं या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है । उनके प्रयोजनार्थ उस धारा के अंतर्गत संबंधित लोक-सेवक से उन सूचनाओं या दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण का आदेश देने का उन्हें पूरा अधिकार प्रदत्त है । लोकायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि यद्यपि उनके द्वारा मांगे गये कागजात एवं सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर भेजने के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर उनकी आदेश निर्गत किया गया है फिर भी संबंधित पदाधिकारियों से उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं एवं कागजात को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब होता है । अत: सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त द्वारा मांगे कागजात एवं सूचनाओं के भेजे जाने में किसी पदाधिकारी द्वारा अधिक विलम्ब होने से उनकी चरित्रपुस्ति में प्रतिकूल अभ्युक्तियों की प्रविष्टि कर दी जायगी और यदि विलम्ब का दृष्टांत बार-बार पाया जायगा तो उनकी चरित्रपुस्ति में निन्दन अभिलेखित कर दिया जायगा ।

2. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,
ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव

बि0स0मु0 (लोकायुक्त) सी-1-I—1,000——1—11—1993——विनोद प्रसाद ।